<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 894

23 जुलाई, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र हेतु कच्चे माल की कमी

894. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस्पात क्षेत्र लौह अयस्क और कोयले जैसे कच्चे माल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ते इस्पात का आयात हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा घरेलू इस्पात क्षेत्र को आपूर्तित लौह अयस्क की मात्रा कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन बढ़ाकर घरेलू इस्पात क्षेत्र के लिए उक्त कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और ओडिशा, कर्नाटक, झारखण्ड और महाराष्ट्र में खनन प्रचालन प्रतिबंध जैसे मुद्दों के समाधन हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योग में लौह अयस्क की वर्तमान माँग और खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, देश में कोकिंग कोल का सीमित उत्पादन होने और उसकी निम्न स्तरीय गुणवत्ता होने के कारण भी घरेलू इस्पात उद्योग को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आयातित कोकिंग कोल पर निर्भर रहना पड़ता है। कच्चे माल की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ते इस्पात के आयात में वृद्धि होने की कोई जानकारी नहीं है।

(ग): गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन और घरेलू बिक्री निम्नवत् है:-

(मिलियन टन में)

अवधि	**उत्पादन**	**घरेलू बिक्री**
वित्तीय वर्ष 2015-16	28.5	27.7
वित्तीय वर्ष 2016-17	34.0	32.9
वित्तीय वर्ष 2017-18	35.5	33.5
वित्तीय वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जून)*	6.9	6.9

*अनंतिम

(घ): सरकार ने खनिज क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2015 और कोल माइंस (स्पेशल प्रोविज़न) एक्ट, 2015 बनाया है।

सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग में लौह अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्न ग्रेड (58% से कम) के लौह अयस्क (लंप और फाईन्स), जिस पर निर्यात शुल्क शून्य है, को छोड़कर सभी प्रकार के लौह अयस्क पर 30% का निर्यात शुल्क लगाया है।

*****